

## Frequently Asked Questions (FAQs) on Instant License and Registration

**प्र.१ कौनसे खाद्य व्यवसाय FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण की तत्काल जारी करने की योजना का लाभ ले सकते हैं?**

उ. यह योजना कुछ श्रेणियों के खाद्य व्यवसायों के लिए डिजिटल सत्यापन के माध्यम से तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसका मतलब है कि यह योजना थोक व्यापारी, वितरक, खुदरा विक्रेता, खाद्य परिवहक, भंडारण (बिना वातावरण नियंत्रित + कोल्ड स्टोरेज), आयातक, खाद्य वेंडिंग एजेंसियां, डायरेक्ट सेलर, व्यापारी-निर्यातक, नाश्ते/चाय की दुकानों के छोटे विक्रेता, और हॉकर (घुमंतू / मोबाइल खाद्य विक्रेता) जैसे खाद्य व्यवसाय के लिए है जो दूध, मांस और मछली जैसी खाद्य श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।

**Q.1 Which Kind of business can get benefit of Instant issuance scheme for FSSAI License/Registration in food businesses?**

**Ans:** The scheme aims to enable instant grant of License/Registration for selected low-risk categories of food businesses through digital verification which means, when you apply for license or registration for **Wholesaler, Distributor, Retailer, Transporter, Storage without Atmospheric Controlled + Cold, Importer, Food Vending Agencies, Direct Sellers, Merchant-Exporter, Petty Retailer of snacks/tea shops, & Hawker (Itinerant / Mobile food vendor)** and who are not involved in food categories like Milk, Meat and Fish.

---

**प्र.२ नाश्ता/चाय की दुकानों और हॉकर के लिए उपयुक्त खाद्य उत्पाद श्रेणी क्या है?**

उ. यदि खाद्य व्यवसाय केवल ताजा पके /तैयार खाद्य पदार्थों से संबंधित है, तो FPC 16 (तैयार खाद्य पदार्थ) का चयन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यदि खाद्य व्यवसाय अन्य श्रेणियों के पैक खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री में शामिल है, तो उसे उपयुक्त खाद्य श्रेणियों का चयन करना होगा।

**Q.2 What is the appropriate Food Product Category for Petty Retailer of snacks/tea shops, & Hawker?**

**Ans:** FPC 16 (Prepared Foods) is required to be selected in case the food business is dealing in only freshly cooked/prepared food. Further, in case the food business is involved in retailing/sale of packed food of other categories, he/she is required to select appropriate food categories.

---

**प्र.३ क्या खुदरा, थोक, वितरण, भंडारण, सीधे विक्रय, और खाद्य वेंडिंग एजेंसी में शामिल खाद्य व्यवसाय मांस और मछली उत्पादों के लिए तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकते हैं?**

उ. खाद्य व्यवसायों को खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, वितरक, भंडारण, डायरेक्ट सेलर और खाद्य वेंडिंग एजेंसी के लिए तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के तहत मांस और मांस उत्पादों और मछली और मछली उत्पादों के व्यापार की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, ट्रांसपोर्टर के मामले में, डेयरी, मांस और मछली उत्पादों के व्यापार की अनुमति तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के तहत नहीं है।

**Q.3 Can Food Businesses involved in Retail, Wholesale, Distribution, Storage, Direct Selling, & Food Vending Agency can obtain instant license/registration for Meat & Fish Products?**

Ans: Food Businesses dealing with Meat & Meat Products & Fish & Fish Products for categories like Retailer, Wholesaler, Distributor, Storage, Direct Seller, & Food Vending Agency are **not allowed under instant license/registration**.

Further, in case of **transporter**, dealing with Dairy, Meat & Fish Products is **not allowed** under instant License/Registration.

---

**प्र.४ खाद्य व्यवसाय संचालक लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्काल प्रक्रिया के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?**

उ. तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन FoSCoS - <https://foscoss.fssai.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे मोबाइल फोन के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। खाद्य व्यवसाय FSSAI हेल्पलाइन 1800112100 या helpdesk-foscoss@fssai.gov.in के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

**Q.4 How can food businesses operators apply for Instant process for license and registration?**

Ans: The instant license/registration can be applied through Food Safety Compliance System [FoSCoS – <https://foscoss.fssai.gov.in>] which can also be accessed through Mobile phones. Food Businesses can seek help through FSSAI Helpline 1800112100 or [helpdesk-foscoss@fssai.gov.in](mailto:helpdesk-foscoss@fssai.gov.in)

---

**प्र.५ तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के लिए भुगतान की आवश्यकताएँ क्या हैं?**

उत्तर: आवेदकों को आवेदन दाखिल करते समय तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के लिए पूरी फीस का भुगतान करना आवश्यक है। लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस संरचना मौजूदा प्रावधान के अनुसार ही है। रजिस्ट्रीकरण के मामले में - रु. 100, राज्य लाइसेंस - रु. 2000, केंद्रीय लाइसेंस - रु. 7500 प्लस जीएसटी।

**Q.5 What are the payment requirements for instant license/registration?**

Ans. Applicants are required to pay the entire fee for the instant license/registration at the time of filing the application. The fee structure for the license/registration is same as per the existing provision. In case of Registration - Rs. 100, State License - Rs. 2000, Central License - Rs. 7500 plus GST as applicable.

---

**प्र.६ कौन से प्रकार के खाद्य व्यवसाय तत्काल लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं?**

उ. प्रारंभिक चरण के लिए 28 जून 2024 से: केवल प्रोप्राइटर [सिंगल ऑनर] प्रकार के खाद्य व्यवसायों को तत्काल लाइसेंस आवेदन करने की अनुमति है।

**Q.6 Which type of Food businesses can apply for instant license?**

Ans: For Initial phase 28<sup>th</sup> June 2024 onwards: Only proprietor [single owner] type of food businesses is allowed for Instant issuance of license.

---

**प्र.७ तत्काल जारी करने की प्रक्रिया नियमित आवेदन प्रक्रिया से कैसे भिन्न है?**

उ. नियमित प्रक्रिया के तहत खाद्य अधिकारियों द्वारा जांच और सत्यापन होता है। तत्काल जारी करने की प्रक्रिया PAN, GST, AADHAAR, CIN आदि की डिजिटल सत्यापन पर निर्भर करती है।

**Q.7 How does the Instant issuance process differ from the regular application process?**

Ans: Unlike the regular process which involves scrutiny and verification by food authorities, Instant issuance leverages digital verification of information like PAN, GST, AADHAAR, CIN, etc.

---

**प्र.८ तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकताएं क्या हैं?**

उ. तत्काल लाइसेंस / रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

**डिजिटल सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करना लाइसेंस के मामले में**

प्रोप्राइटरशिप फर्म: • GST और AADHAAR के माध्यम से सत्यापन

**डिजिटल सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करना रजिस्ट्रीकरण के मामले में**

• थोक व्यापारी, वितरक, खुदरा विक्रेता, परिवहनकर्ता, भंडारण (बिना वातावरण नियंत्रित + कोल्ड स्टोरेज), खाद्य वेंडिंग एजेंसियां, और डायरेक्ट सेलर के तहत छोटे FBO के लिए PAN और

AADHAAR के माध्यम से सत्यापन और नाश्ते/चाय की दुकानों के छोटे विक्रेता, और हॉकर के लिए AADHAAR के माध्यम से सत्यापन।

• आवेदकों को अनिवार्य रूप से परिसर के प्रवेश/सामने की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। इन तस्वीरों में परिसर का पता स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए और खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) की तस्वीर परिसर के सामने शामिल होनी चाहिए।

**Q.8 What are the requirements for applying for Instant License/Registration?**

**Ans:** The requirements for obtaining instant license /registration are as below:

**Document Submission for Digital Verification**

**Proprietorship firms in case of License:**

- Verification through GST and AADHAAR

**Document Submission for Digital Verification in case of Registration:**

- Verification through PAN and AADHAAR for Petty FBOs under Wholesaler, Distributor, Retailer, Transporter, Storage without Atmospheric Controlled + Cold, Food Vending Agencies, & Direct Seller & verification through AADHAAR for Petty Retailer of snacks/tea shops & Hawker.
- Applicants are required to mandatorily upload entrance/front facing photographs of the premise. These photographs must clearly **show the address of the premise and include an image of the Food Business Operator (FBO) in front of the premise.**

---

**प्र.९ तत्काल जारी प्रावधान के तहत जारी किए गए लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण की वैधता अवधि क्या है?**

उ. तत्काल लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष के लिए दिया जाएगा।

इसके अलावा, खाद्य व्यवसाय अपने लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण को मौजूदा प्रावधान के अनुसार 1-5 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं।

**Q.9 What is the validity period of the License/Registration issued under the Instant issuance provision?**

**Ans:** Instant License/Registration will be granted for **One year**.

Further, the food businesses can renew their License/Registration for a period of 1-5 Years as per existing provision.

---

**प्र.१० कौन 'तत्काल प्रावधान' के तहत लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता?**

उ. वह आवेदक,

- जिनके पास पहले से ही उसी परिसर पर वैध लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण है
- जिनका लाइसेंस / रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है
- जिनका लाइसेंस / रजिस्ट्रीकरण पिछले तीन महीनों में अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया है।
- जो तत्काल लाइसेंस जारी करने के लिए सूचीबद्ध व्यवसाय प्रकार के तहत नहीं आते हैं।

खाद्य व्यवसाय जिन्होंने गलत व्यवसाय प्रकार के तहत या पात्रता मानदंड के अनुसार नहीं, लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, उन्हें FSS अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसमें कोई भी गलत घोषणा 10 लाख रुपये तक के दंड को आकर्षित कर सकती है।

**Q.10 Who shall ‘not’ apply for License/Registration under instant provision?**

**Ans.** The applicants,

- Who **already possess** valid license /registration on the same premise
  - Whose license / registration has been **suspended** by the authorities
  - Whose license /registration **cancelled** by the authorities in past three months.
  - Who **is not falling under the listed Kind of Businesses** for Instant Issuance of License. Food Businesses who have obtained the license /registration under wrong Kind of Businesses or not as per eligibility criteria may be penalised under Section 61 of FSS Act, 2006, wherein any false declaration shall attract penalty up to Rs. 10 lakhs.
-